



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

फाइल संख्या - CHG/KNK/Fe-1

खान कोड 30CHG08001

दिनांक :12.10.2022

प्रेषिति-

1. श्री मेघपाल सिंह, मनोनीत मालिक
2. श्री टी प्रसन्ना कुमार, एजेंट

मेसर्स जयसवाल निक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
सिलतारा ग्रोथ सेंटर, बिलासपुर रोड, सिलतारा,
रायपुर- 493111

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान, 25.00 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-
महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 06/09/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री टी प्रसन्ना कुमार, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
12(1)	The prospecting and mining operations have not been carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of the environment. However it is observed during inspection that the processed ore of fines are stacked in the mine working area resulting flow of the mineral and hindering of systematic and scientific development of the mines.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
3. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं। नियम 12(1) का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर राशि 500000/- रुपये जुर्माना जमा करना होगा।
4. Fines stack अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(अरुण कुमार)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो